प्रश्न 23—जजों की नियुक्ति और तबादले से सम्बन्धित संवैधानिकउपबंधों को प्रस्तुत करते हुए, न्यायिक निर्णयों ने संवैधानिक कानून के स्थापित सिद्धान्तों को कहाँ तक प्रभावित किया है?

उत्तर—संवैधानिक उपबन्ध—राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 124 (2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात् जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझता है, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करेगा। परन्तु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सदैव परामर्श किया जाएगा।

राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124 (2) के अधीन मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के विषय में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श लिये जाने की अपेक्षा नहीं की गई है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के पद पर उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी जो कि पद धारण करने के योग्य समझा जाता है। इस प्रकार यह नियम अब सांविधानिक अभिसमय के रूप में सुस्थापित हो गया है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति ज्येष्ठता के आधार पर की जाएगी और उच्चतम न्यायालय का ज्येष्ठतम न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त किया जाएगा यदि वह इस पद को धारण करने के योग्य समझा जाता है।

कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति के लिए भी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 126 में उपबन्ध किया गया है कि जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब मुख्य न्यायमूर्ति, अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश, जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है। अन्य न्यायाधीशों

को नियुक्ति करते समय वह उक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त सम्बन्धित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से भी परामर्श कर सकता है।

न्यायाधीशों का अन्तरण—किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अन्तरण के निमित्त उपबंध संविधान के अनुच्छेद 222 में किया गया है। अनुच्छेद 222 के अनुसार, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अन्तरण कर सकता है। जब कोई न्यायाधीश इस प्रकार अंतरित किया जाता है तो वह अपने वेतन के अतिरिक्त ऐसा प्रतिकरात्मक भत्ता, जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, प्राप्त करने का हकदार होगा।

न्यायिक निर्णय—भारत संघ बनाम **सांकलचन्द,** ए० आई० आर० 1977 एस० सी० 2328 के मामले में राष्ट्रपति की उस अधिसूचना को, जिसके द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को स्थानान्तरित कर दिया गया था, इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि स्थानान्तरण आदेश सम्बन्धित न्यायाधीश की सहमति के बिना और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बिना किया गया था जिसमें निर्णीत हुआ कि परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है।

एस० पी० गुप्ता बनाम **भारत संघ**, ए० आई० आर० 1982 एस० सी० 149 के मामले में जो उच्च न्यायालयों में नियुक्ति तथा स्थानान्तरण से सम्बन्धित था परामर्श शब्द के निर्वचन का प्रश्न पुन: उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया। न्यायालय ने **सांकल चन्द** के मामले में दिए अपने निर्णय का अनुसरण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानान्तरण में राष्ट्रपति को न्यायाधीशों से 'परामर्श' करना अनिवार्य है और परामर्श 'पूर्ण तथा प्रभावी' होना चाहिए। किन्तु परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है और राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है।

एस० सी० एडवोकेट्स आन रिकार्ड बनाम **भारत संघ,** (1993) 4 एस० सी० 44 के मामले में अपने ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने **एस० पी० गुप्ता** बनाम **भारत संघ** के निर्णय को उलट दिया है जिसमें यह निर्णय दिया गया था कि न्यायाधीशों की 'नियुक्तियों' और 'स्थानान्तरण' के मामले में अन्तिम निर्णय सरकार का है और यह अभिनिर्धारित किया कि **उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 'नियुक्ति और उनके स्थानान्तरण' के मामले में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का निर्णय अन्तिम माना जायेगा, सरकार का नहीं।**

इन री प्रेसीडेन्सियल रिफरेन्स, ए० आई० आर० 1999 एस० सी० 1 के मामले में (न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानान्तरण के नाम से प्रसिद्ध) 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानान्तरण के मामले में 1993 में प्रतिपादित 'परामर्श प्रक्रिया' के पालन किए बिना भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा की गई सिफारिश मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। न्यायालय ने परामर्श प्रक्रिया को अधिक विस्तृत कर दिया और यह निर्णय दिया कि उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श करके ही राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति अपनी सिफारिश भेजेगा। मुख्य न्यायमूर्ति का अकेले का मत 'परामर्श' प्रक्रिया नहीं है। न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों को अपना परामर्श आम राय से देना होगा और यदि उसमें से दो विरोध करते हैं तो नियुक्ति की सिफारिश नहीं भेजी जाएगी।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करके अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजेगा।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानान्तरण के मामले में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करेगा और इसके अतिरिक्त सम्बन्धित न्यायालयों जिससे स्थानान्तरण किया गया है और जिसको स्थानान्तरण किया गया है उनके मुख्य न्यायाधीशों से भी परामर्श [illegible] और तत्पश्चात् अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजेगा।